१· प्रस्तावना

क) निर्देशिका का उद्देश्य एवं दायरा

यह निर्देशिका भारत में सीडा[१] की सहयोगी संस्थाओं की सहायता के लिए बनायी गई है जिससे कि वे अपनी लेखा पद्धति को सुचालित या संशोधित कर सकें एवं सीडा की लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी अपेक्षाओं को पूरा कर सकें।

यह निर्देशिका प्राथमिक रूप से सीडा अनुदान के वित्तीय तथा लेखाङ्कन के पक्षों पर केन्द्रित है। इन पहलुओं में से कुछ अन्य विषयों से भी सम्बन्धित हैं, जैसे विअविअ[२] या आयकर। इसी कारण से इन विषयों पर सीमित चर्चा भी इसमें दी गई है।

ख) प्राधिकार

यह संयोजित निर्देशिका सामान्यतः हमारे सहयोगी संस्थाओं की लेखा पद्धति को सबल बनाने में सहायक है। इस निर्देशिका की विषय-वस्तु में प्राधिकार के विभिन्न सोपान हैं। इन्हें नीचे समझाया गया है।

१· अनिवार्य अपेक्षाएँ

यह ऐसी रीतियाँ हैं जिन्हें सीडा स्वयं द्वारा समर्थित सभी परियोजनाओं के लिए लागू करना चाहती है। यदि इन अपेक्षाओं को लागू कर पाना कठिन हो तो आपको यह बात तुरन्त लिखित रूप से सीडा के ध्यान में लानी चाहिए। सीडा तब उस विषय-वस्तु का हल निकालने का प्रयास करेगी। अनिवार्य अपेक्षाओं को नीले रङ्ग में दर्शाया गया है।

२· अनुशंसित रीतियाँ

इन रीतियों का पालन आपकी लेखा पद्धति को सरल तथा सशक्त बनाने में सहायता करेगा। सीडा के कार्यक्रम-अधिकारी (मॉनिटरिंग टीम) भी आपको इन रीतियों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। परन्तु, यह आप के विवेक पर निर्भर करता है कि आप इन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं। ये रीतियाँ हरे रङ्ग में दर्शायी गई हैं।

३· भारतीय विधि की आज्ञानुसार

ये अनिवार्यताएँ भारतीय विधि द्वारा निर्देशित हैं जिनका निर्वचन इस निर्देशिका के लेखकों ने किया है। निर्देशिका को इस तरह लिखा गया है कि विधिक आवश्यकताओं से कोई अन्तर्द्वन्द न हो। परन्तु, कृपया यह ध्यान रखें कि विधि का पालन करना आपका उत्तरदायित्व है तथा इसके लिए जब भी आवश्यकता हो, आपको किसी स्वतंत्र विधि-विशेषज्ञ से अवश्य विचार विमर्श कर लेना चाहिए। विधिक अनुपालन विषय पीले रङ्ग से चिन्हित हैं।

ग) निर्देशिका में संशोधन

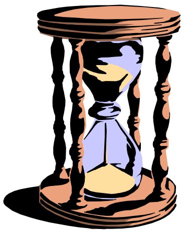

कोई भी निर्देशिका सदा समयोपयोगी नहीं रह सकती। हम अपेक्षा करते हैं कि समय के साथ-साथ इसका विस्तार होता रहेगा। इस प्रक्रिया में आपके विचारों का स्वागत है। संशोधन की औपचारिक सूचना सीडा की सभी वर्तमान सहयोगी संस्थाओं को दी जाएगी।

घ) अन्य भाषान्तर

इस निर्देशिका का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है। दोनों ही, हिन्दी तथा अंग्रेजी स्वरूप, अब सी० डी० पर भी उपलब्ध हैं। इनमें से कोई भी स्वरूप प्राप्त करने हेतु नई दिल्ली में सीडा के कार्यालय से सम्पर्क करें। दोनों, हिन्दी तथा अंग्रेजी स्वरूप, अब अन्तरताना (Internet) पर भी उपलब्ध हैं। इस वाभ स्थल का पता हैः www.ngoAccounting.net.

---

[१] स्वीडिश दूतावास का विकास सहयोग अनुभाग (Development Cooperation Section)।

[२] विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६

ङ) लेखन शैली, रङ्ग तथा ध्यान रखने योग्य कुछ बातें

हमारे विचार में लेखाङ्कन निर्देशिका का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन करने के लिए सहिष्णुता, साहस तथा दृढ़ सङ्कल्प की आवश्यकता होती है ! आपके कार्य को सरल बनाने के लिए हमने इसमें चित्रों का सम्मिश्रण किया है तथा लेखन की हल्की, बातचीत की शैली का प्रयोग करने का प्रयास किया है।

इस निर्देशिका की सीमित प्रतियों की आवश्यकता के कारण इसका मुद्रण किसी ऑफसेट मुद्रणालय में नहीं हुआ है। रङ्गों का प्रयोग अध्ययन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है किन्तु वे घुलनशील हैं, केवल काला रङ्ग ही स्थायी है। अतः कृपया निर्देशिका पर चाय या कॉफी न गिराएँ !

दुर्घटनाएँ फिर भी हो ही जाती हैं। यदि दुर्भाग्यवश आपकी निर्देशिका खराब हो जाती है, तो अतिरिक्त प्रति के लिए कृपया नई दिल्ली में सीडा को लिखें।

च) शब्दावली

आज कोई भी ऐसा शब्द या पद नहीं है जिसे सभी लोगों का अनुमोदन प्राप्त हो। यहाँ हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास किया है जो सामान्य हों। इस सन्दर्भ में, जनसेवी संस्था का अर्थ है - सीडा के सहयोगी या वे सङ्गठन जो मुख्यतः परियोजनाओं को कार्यान्वित करते हैं। जनसेवी संस्थाओं को सम्बोधित करने के लिए हमने प्रायः "आप" शब्द का प्रयोग किया है। वे सङ्गठन जो मुख्यतः ऐसी परियोजनाओं के लिए निधि उद्ग्रहीत करते हैं या उसे प्रदान करते हैं, उनके लिए "दातव्य संस्था" शब्द का प्रयोग किया गया है। लेखाकार का अर्थ है वह व्यक्ति जो आपकी लेखा-पुस्तकों की देखभाल करता हो। पूरी निर्देशिका में "सीडा" का अर्थ स्वीडिश दूतावास का विकास सहयोग अनुभाग (Development Co-operation Section of Embassy of Sweden) से है।

हमने इस निर्देशिका को व्यक्तियों के संदर्भ में लिङ्ग-प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयास किया है। फिर भी अंग्रेजी भाषा की अपेक्षा हिन्दी में लिङ्ग-भेद विशेषतया स्पष्ट एवं विस्तृत है। इस कारण कुछ स्थानों पर कठिन व्याकरण का प्रयोग हुआ है। अन्य स्थानों पर, जहाँ उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करने से अनुश्रवण प्रक्रिया प्रभावित होती है, हमने लिङ्ग-भेद को स्थिर रखा है। साथ ही, हिन्दी भाषा की गरिमा को बनाए रखने के लिए चालू भाषा के स्थान पर शुद्ध हिन्दी का प्रयोग किया गया है।

छ) यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं...

- ❑ आप अपने अङ्केक्षक/ सलाहकार से उस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, या
- ❑ आप सीडा में सम्बन्धित कार्यक्रम-अधिकारी से इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, या
- ❑ आप नई दिल्ली में सीडा के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं, या
- ❑ आप सञ्जय आदित्य एवं सहयोगी[१] को दिल्ली में लिख सकते हैं तथा इस पत्र की एक प्रति के सीडा को भी भेज सकते हैं।

ज) आभार-स्वीकृति

हम अपनी सहयोगी संस्थाओं का आभार प्रकट करना चाहेंगे जिन्होंने इस निर्देशिका के विकास में हमें अपना सहयोग तथा सुझाव दिये। इस निर्देशिका के कुछ भाग अकाउन्टएड इण्डिया (AccountAid™) द्वारा प्रकाशित अकाउण्टेबल (AccountAble™) श्रृंखला के मासिक परिपत्रों से उनकी अनुमति से लिए गए हैं। अन्य भाग सञ्जय आदित्य एवं सहयोगी द्वारा सीडा के परामर्श से विकसित किये गये हैं।

---

[१] सञ्जय आदित्य एवं सहयोगी, शासपत्रित लेखापाल, ५५-बी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली- ११००१४; दूरभाषः ०११-२६३४ ६२५३, २६३४ ७२५३, प्रतिरूप प्रेषिकाः ०११-२६३४ ३८५२; ई-प्रेष : २६३४७४३०@bol.net.in; वाभ-स्थलः www.ngoAccounting.net